


फर्द अहकाम
(भाग 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)
रतनलाल पिता कालू मीणा नि. चान्दाण्ड
वनाम

सर्दीक पिता कासम खाँ मुसलमान नि. ईदुन्दा वगैरा
किरम मुकदमा प्र10 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 534/2022

ताशेख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व ताशेख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुई
202 .05.22	<p>प्रार्थना पत्र सिमें से बाद जॉय रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन ईदुन्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. नं. 1378 कुल किता 01 अग्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्द में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी संख्या 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एकट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम चान्दाण्ड प. ह. ईदुन्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. नं. 1378 कुल किता 01 रकबा 4.6458 हैक्टयर की पडोसियान की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अनिलेख निरीक्षक तुहशीकलां को कनिश्चर नियुक्त किया जाता है। कनिश्चर फीस 1500-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी भोंके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p align="right">आदेश आज दिनांक 05.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी,
 जहाजपुर(भीलवाडा)